संख्या- 52/VI-1/2008-5(7)2005

प्रेषक,

सुवर्द्धन
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

संस्कृति अनुभाग :

देहरादून दिनांक 20 मार्च, 2008

विषय :-**संस्कृति निदेशालय/आडिटोरियम भवन निकट रिस्पना पुल देहरादून की चारहदीवारी निर्माण कार्य विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1883/स.नि.उ./बो-3/2007-08 दिनांक-09 जनवरी, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा गठित आगणन रू0 23.99 लाख के सापेक्ष औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू0 19.14 लाख पर श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 19.14 लाख मात्र की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2. उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों में यह स्वीकृत किया जा रहा है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। ऐसे व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है

3. किसी भी मद में व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, भण्डार क्रय नियम तथा मितव्ययता सम्बंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उपकरणों का क्रय डी0जी0एस0एन0डी0 दरों पर किया जाएगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेण्डर, कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जाएगा।

4. समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, तथा किसी भी बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट न होने पर तत्काल शासन को अवगत कराया जायेगा।

5.आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार मत से ली गयी हो, की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6.कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाये। पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 के समय में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 25.00 लाख में से व्यय हुई धनराशि रू018.19 लाख की धनराशि का पूर्ण प्रयोग/सदुपयोग हो चुका है, यह सुनिश्चित होने के उपरान्त ही उक्त धनराशि व्यय की जायेगी।

7. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें, तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

9.कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण कर उच्चाधिकारियों द्वारा अवश्य करा लें, निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुसार कार्य कराया जाये।

10. आगणन में जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गयी है व्यय उन्हीं मदों पर किया जाय, एक मद की राशि दूसरे मदों पर कदापि व्यय न की जाय।

11.एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनेके उपरान्त कार्य टेकअप किया जाये।

12. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री किसी प्रयोगशाला से टेस्टींग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाये जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

13. जी.पी.डब्लू फार्म 09 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित कराना होगा तथा कार्य को समय से पूर्ण न करने पर दस प्रतिशत की दर से आंगणन की कुल लागत का निर्माण बकाया से दण्ड वसूल किया जायेगा।

14. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के शासनादेश सं0–2047/XIV–219(2006) दिनांक– 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

15. सामग्री कय करने से पूर्व स्टोर पर्चेज नियमों का पालन कड़ाई से करना सुनिश्चित किया जाय।

16. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा। कार्य को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

17. यहां यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु धनराशि जिला योजना से प्राप्त नहीं की गयी है/जायेगी।

18.उक्त स्वीकृत धनराशि शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाय तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाय। धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध करा दिय जाये।

19. उक्त व्यय अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 4202–04–कला एवं संस्कृति–106–संग्रहालय भवन–03 संग्रहालय भवन निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य मानक मद में प्राविधानित धनराशि में से वहन किया जायेगा।

उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–921 (पी) /वित्त अनु0–3/2008 दिनांक–19, मार्च 2008, में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुवर्द्धन)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 52 /VI-I/2008–5(17)2005 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्दिरा नगर, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. परियोजना प्रबंधक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
7. एन0आई0सी0 देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव